



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 293]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 27, 2015/भाद्र 5, 1937

No. 293]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 27, 2015/BHADRA 5, 1937

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(गोवा राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के लिए)

अधिसूचना

गुडगांव, 10 अगस्त, 2015

जेईआरसी (बहु-वर्ष वितरण टैरिफ) विनियम 2014 में संशोधन

सं. जेईआरसी-18/2014.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 61, 62 और 86 के साथ पठित धारा 81 की उप-धारा (1) तथा धारा 181 की उप-धारा (2) के खण्ड (जेडडी), (जेडई) और (जेडएफ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों तथा इसके द्वारा प्राप्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा पिछले प्रकाशन के बाद, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के लिए) एतद्वारा जेईआरसी (बहु-वर्ष वितरण टैरिफ) विनियम, 2014 (इसके बाद से प्रधान विनियम के रूप में उल्लेख किया जाएगा) में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है।

संशोधन निम्न प्रकार हैं:

1. संक्षिप्त शीर्ष और प्रारंभण

1.1 इन विनियमों को गोवा राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (बहु-वर्ष वितरण टैरिफ) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2015 कहा जाएगा।

1.2 ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. प्रधान विनियमों के विनियम 2 में संशोधन

उप-विनियम 2.2 को प्रतिस्थापित करते हुए निम्नानुसार पढ़ा जाए:

“2.2 ये विनियम 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2019 तक (अर्थात् वित्त वर्ष 2018-19 तक) इन विनियमों के अंतर्गत शामिल सभी मामलों में टैरिफ के निर्धारण हेतु लागू होंगे।”

3. प्रधान विनियमों के विनियम 3 में संशोधन

उप-विनियम 3.1.6 के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष 2015-16 से वित्तीय वर्ष 2017-18 तक के शब्दों और आंकड़ों में संशोधन करते हेतु उन्हें “वित्त वर्ष 2016-17 से वित्त वर्ष 2018-19” पढ़ा जाए।

4. प्रधान विनियमों के विनियम 4 में संशोधन

उप-विनियम 4.1 के अंतर्गत, 1 अप्रैल, 2015 को संशोधित करके “1 अप्रैल, 2016” किया जाता है।

5. प्रधान विनियमों के विनियम 5 में संशोधन

उप-विनियम 5.1 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाए:

“5.1 वितरण लाइसेंसधारी 1 अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2019 तक तीन वित्तीय वर्षों की नियंत्रण अवधि के लिए एक व्यवसाय योजना प्रस्तुत करेगा, जिसमें विस्तृत श्रेणी-वार बिक्री और मांग अनुमान, विद्युत क्रय योजना, पूंजीगत निवेश योजना, वित्तीय योजना और वास्तविक लक्ष्य शामिल होंगे, जो इन तक ही सीमित नहीं होंगे।

बशर्ते कि यदि आयोग समय-समय पर दिशा-निर्देश और प्रारूप जारी करता है तो वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा इसका अनुपालन किया जाएगा।”

उप-विनियम 5.2 के अंतर्गत वर्ष 2015-16 को संशोधित करते हुए “2016-2017” पढ़ा जाए तथा तत्पश्चात् 31.03.2018 को संशोधित करते हुए “31.03.2019” पढ़ा जाए।

6. प्रधान विनियमों के विनियम 6 में संशोधन

उप-विनियम 6.1 के अंतर्गत, इस पैरा के अंत में दिए गए विनियम 2009 के बाद निम्नलिखित शब्दों को जोड़ा जाए:

“समय-समय पर संशोधित अनुसार”

7. प्रधान विनियमों के विनियम 7 में संशोधन

उप विनियम 7.1 के अंतर्गत ‘अनुमोदन’ शब्द में संशोधन करके इसे ‘निर्धारण’ के रूप में पढ़ा जाए।

इस उप-विनियम के परंतुक में, “लाइसेंसधारी द्वारा इंगित” शब्दों में संशोधन करते हुए इसे “निर्धारित” के रूप में पढ़ा जाए।

इसी परंतुक में, “हानियां” शब्द के बाद, “और उगाही क्षमता” को जोड़ा जाए।

एक नए उप-विनियम 7.2 को निम्नानुसार जोड़ा जाए:

“7.2 आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई व्यवसाय योजना को अनुमोदित करने के क्रम में आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्षेपण को आवेदक द्वारा कुल राजस्व अपेक्षा और/या विनियम 6 के अंतर्गत टैरिफ और प्रभारों के राजस्व के संबंध में अपने पूर्वानुमान में शामिल किया जाएगा।”

8. प्रधान विनियमों के विनियम 9 में संशोधन

उप-विनियम 9.2 (ख) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए:

"(ख)(i) कुल तकनीकी और वाणिज्यिक (एटीएण्डसी) हानि में भिन्नता, जिसे वितरण प्रणाली में यूनिट इनपुट तथा उगाही गई यूनिटों (यूनिटों की बिलिंग और उनकी उगाही) के बीच अंतर के रूप में मापा जाएगा, जहां उगाही गई यूनिटों की बिलिंग और उगाही क्षमता के उत्पाद के बराबर होंगी (जहां उगाही क्षमता को उसी वर्ष के लिए कुल राजस्व की बिलिंग की तुलना में उगाही गई कुल राजस्व राशि के अनुपात के रूप में मापा जाएगा);

एटीएण्डसी हानि (विनियामकों के फोरम द्वारा अपनाए गए अनुसार) की गणना के लिए विस्तृत कार्यप्रणाली को इन विनियमों के परिशिष्ट में दर्शाया गया है;

(ख)(ii) में वितरण हानि, जिसे सभी उपभोक्ताओं को बिक्री हेतु कुल ऊर्जा इनपुट तथा उसी वर्ष में लाइसेंसधारी क्षेत्र में कुल बिलिंग ऊर्जा के योग के बीच अंतर के रूप में मापा जाएगा।"

उप-विनियम 9.2 (जी) को हटाया जाता है।

9. मूल विनियमों के विनियम 12 में संशोधन

विनियम 12.10 के चौथे परंतुक में, 'आयोग के पूर्व अनुमोदन' से पूर्व 'से' शब्द के स्थान पर "के बिना" शब्द प्रतिस्थापित किया जाए।

10. प्रधान विनियमों के विनियम 15 में संशोधन

उप-विनियम 15.1 के अंतर्गत, दूसरे परंतुक के बाद 'स्पष्टीकरण' में निम्नानुसार संशोधन किया जाए:

"स्पष्टीकरण: उदारहण के लिए, वर्ष 2016-17 एआरआर प्रस्तुत करते समय वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 से संबंधित उपभोक्ता श्रेणी के स्लैब के अनुसार लेखा-परीक्षित बिक्री आंकड़ों का प्रयोग किया जाना चाहिए। यदि अंतिम वर्ष (2014-15) के लेखाओं के बही खाते अभी लंबित हों, तो वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 से संबंधित बिक्री आंकड़ों का प्रयोग किया जाएगा और वितरण लाइसेंसधारी को प्रक्रिया में शीघ्रता लानी चाहिए ताकि पिछले तत्काल तीन वर्षों के लेखा-परीक्षित बिक्री आंकड़े अगले वर्ष के बाद से एआरआर दायर करते समय उपलब्ध हो सकें।"

11. प्रधान विनियमों के प्रपत्र-16 में संशोधन

क्रमांक 8 के बाद, निम्नलिखित उप-शीर्ष को जोड़ा जाए:

9. सीजीआरएफ पर व्यय

(जिसके लिए जेईआरसी विनियमों के अनुसार लाइसेंसधारी के बजट में अलग बजट प्रावधान को अनिवार्य बनाया जाता है)।

10. उपकरणों और सुरक्षा उपकरणों के प्रावधान सहित कर्मचारियों / स्टॉफ की सुरक्षा पर व्यय।

11. संबंधित स्टॉफ तथा उनकी पुनः दक्षता सहित कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर व्यय।

उपर्युक्त के बाद, क्रमांक 9 से 14 की संख्या को क्रमांक 12 से 17 के रूप में फिर से लिखा जाए।

कीर्ति तिवारी, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./218-जे/2015/160]

परिशिष्ट

एटीएंडसी हानि की गणना के लिए कार्यप्रणाली

राज्य का नाम:.....

डिस्काम का नाम:

क्र.सं.	विवरण	गणना	यूनिट	वर्ष
1.	डिस्काम की आपूर्ति के क्षेत्र में उत्पादन (अतिरिक्त खपत की कटौती के बाद निजी तथा अन्य कोई संबद्ध उत्पादन नेट)	ए	एमयू	
2.	डिस्काम नेटवर्क के इंटरफेस प्वाइंट पर प्राप्त इनपुट ऊर्जा (मीटर्ड इम्पोर्ट)	बी	एमयू	
3.	डिस्काम नेटवर्क के इंटरफेस प्वाइंट पर डिस्काम द्वारा इनपुट ऊर्जा (मीटर्ड एक्सपोर्ट)	सी	एमयू	
4.	डिस्काम के उपभोक्ताओं को लाइसेंसयुक्त क्षेत्र के अंदर बिक्री के लिए उपलब्ध कुल ऊर्जा	डी=ए+बी-सी	एमयू	
5.	डिस्काम के लाइसेंसयुक्त क्षेत्र के अंदर मीटर वाले उपभोक्ताओं को ऊर्जा बिल देना	ई	एमयू	
6.	डिस्काम के लाइसेंसयुक्त क्षेत्र के अंदर बिना मीटर वाले उपभोक्ताओं को ऊर्जा बिल देना @	एफ	एमयू	
7.	कुल दिए गए ऊर्जा बिल	जी=ई+एफ	एमयू	
8.	डिस्कॉम के लाइसेंसयुक्त क्षेत्र में उपभोक्ताओं को दी गई बिल की राशि	एच	रुपए	
9.	बिलंब भुगतान अधिभार	आई	रुपए	
10.	एच में दिए गए बिल की राशि में से डिस्काम द्वारा प्राप्त राशि #	जे	रुपए	
11.	प्राप्त राजसहायता राशि	के	रुपए	
12.	चोरी के मामलों के कारण वसूली गई राशि	एल	रुपए	
13.	चोरी के मामलों के कारण वसूली गई ऊर्जा	एम=(एल × जी)/एच	एमयू	
14.	उगाही क्षमता (%)	एन (जे-आई+के+एल/ एच+के+एल) ×100	%	
15.	डिस्कॉम द्वारा प्राप्त ऊर्जा	पी=एन×जी	एमयू	
16.	वितरण हानि (%)	क्यू={ (डी-जी)/डी} ×100	%	
17.	एटीएंडसी हानि (%)	आर={ (डी-(पी+एम)/डी} ×100	%	

वर्तमान वर्ष में प्राप्त पिछले वर्षों की बिलिंग की राशि को इस शीर्ष में छोड़ा नहीं जाना चाहिए। तथापि, वर्तमान वर्ष में बिजली की बिक्री के लिए प्राप्त राज्य सहायता को इस शीर्ष में जोड़ा जाना चाहिए।

@ बिना मीटर वाले उपभोक्ता को ऊर्जा बिल के निर्धारण के मानदंडों को विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए। यह केवल दो श्रेणियों के लिए होना चाहिए अर्थात् कृषि उपभोक्ता और गरीबी की रेखा से नीचे के परिवार। कृषि उपभोक्ता के मामले में मानदंड सेम्पल मीटरिंग के आधार पर हो सकता है जिसे कृषि उपभोक्ताओं को आपूर्ति की लागत पर परामर्शी अध्ययन के परिणाम के आधार पर आगे परिशोधित किया जा सकता है?

टिप्पणी: लेखा-परीक्षित आंकड़ों को एटीएंडसी हानि की गणना के लिए वाणिज्यिक उपयोगिता विभाग (बिलिंग और राजस्व अनुभाग) से लिया जाना चाहिए।

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

(For the State of Goa and Union Territories)

NOTIFICATION

Gurgaon, the 10th August, 2015

Amendments in JERC (Multi-Year Distribution Tariff) Regulations, 2014

No. JERC-18/2014.—In exercise of the powers conferred under sub-section (1) of Section 181 and clauses (zd), (ze) and (zf) of sub-section (2) of Section 181, read with Sections 61, 62 and 86 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003) and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Joint Electricity Regulatory Commission (for the state of Goa and UTs) hereby makes the following regulations to amend the JERC (Multi-year Distribution Tariff) Regulations, 2014 (herein after referred to as the Principal Regulations).

Amendments are as follows:

1. Short Title and Commencement

- 1.1 These regulations shall be called the Joint Electricity Regulatory Commission for the State of Goa and UTs (Multi-year Distribution Tariff) (First Amendment) Regulations, 2015.---
- 1.2 These regulations shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Regulation 2 of Principal Regulations

Sub-regulation 2.2 is substituted to read as follows:

"2.2 These regulations shall be applicable for determination of tariff in all cases covered under these Regulations from April 1, 2016 to March 31, 2019 (i.e. till FY 2018-19)."

3. Amendment of Regulation 3 of Principal Regulations

Under sub-regulation 3.1.6, words and figures FY 2015-16 to FY 2017-18, stands amended to read as "FY 2016-17 to FY 2018-19"

4. Amendment of Regulation 4 of Principal Regulations

Under sub-regulation 4.1, April 1, 2015 stands amended to "April 1, 2016."

5. Amendment of Regulation 5 of Principal Regulations

Sub-regulation 5.1 is substituted as follows:

"5.1 The Distribution Licensees shall file a Business Plan for the control period of three financial years from April 1, 2016 to March 31, 2019, which shall comprise, but not be limited to, detailed category-wise sales and demand projections, power procurement plan, capital investment plan, financial plan and the physical targets.

Provided that in case the Commission issues guidelines and formats, from time to time, the same shall be adhered to by the Distribution Licensees."

Under sub-regulation 5.2, year 2015-16 is amended to read as "2016-2017" and thereafter 31.03.2018 is amended to read as "31.03.2019"

6. Amendment of Regulation 6 of Principal Regulations

Under sub-regulation 6.1, after Regulation, 2009 appearing at the end of this paragraph, the following words are inserted:

"as amended from time to time."

7. Amendment of Regulation 7 of Principal Regulations

Under sub-regulation 7.1 the word 'approve' is amended to read as "stipulate"

In the proviso of this sub-regulation, the words 'indicated by the licensee' are amended to read as "stipulated".

In the same proviso, after the word 'losses', add "and collection efficiency".

3664 57/15-2

A new sub-regulation 7.2 is inserted as under:

“7.2 The trajectory stipulated by the Commission in the order approving the Business Plan submitted by the applicant, shall be incorporated by the applicant in its forecast of Aggregate Revenue Requirement and/or revenue from tariff and charges under Regulation 6.”

8. Amendment of Regulation 9 of Principal Regulations

Sub-regulation 9.2 (b), is substituted by the following:

“(b) (i) Variations in Aggregate Technical & Commercial (AT&C) losses which shall be measured as the difference between the units input into the distribution system and the units realized (units billed and collected) wherein the units realized shall be equal to the product of units billed and collection efficiency (where Collection Efficiency shall be measured as ratio of total revenue realized to the total revenue billed for the same year);

Detailed methodology for the computation of AT&C loss (as adopted by Forum of Regulators) has been indicated in Appendix to these regulations;

(b) (ii) Distribution Losses which shall be measured as the difference between total energy input for sale to all consumers and sum of the total energy billed in the licensee area in the same year.”

Sub-regulations 9.2 (g) stands deleted.

9. Amendment to Regulation 12 of the Principle Regulations

In the forth proviso of Regulations 12.10, the word ‘with’ before ‘the prior approval of the Commission’ is to be substituted by the word “without”.

10. Amendment of Regulation 15 of Principal Regulations

Under sub-regulation 15.1, ‘Explanation’ after the second proviso stands amended as follows:

“Explanation : For instance, while filing for 2016-17 ARR, audited sales figures, by slab by consumer category, pertaining to 2012-13, 2013-14 and 2014-15 shall be used. In case audit of books of accounts of last year (2014-15) is still pending, corresponding sales figures pertaining to 2011-12, 2012-13 and 2013-14 shall be used and the Distributions Licensee must expedite the process so that audited sales figures of immediately preceding three years shall be available during ARR filling from the next year onwards.”

11. Amendment to Format-16 of the Principle Regulations

After serial no. 8, the following sub-heads shall be inserted:

9. Expenses on CGRF

(for which separate budget provisions is mandated in the licensee’s budget as per JERC Regulations)

10. Expenses on Employees/staff safety including provision of tools and safety equipment.

11. Expenses on training of employees including line-staff and on their re-skilling

Following from the above, serial No. 9 to 14 stands renumbered in seriatim as serial No. 12 to 17.

KEERTI TEWARI, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./218-J/2015/160]

APPENDIX

METHODOLOGY FOR COMPUTATION OF AT&C LOSS

NAME OF STATE: _____

NAME OF DISCOM: _____

Sl. No.	Particulars	Calculation	Unit	Year
1.	Generation (own as well as any other connected generation net after deducting auxiliary consumption) within area of supply of DISCOM	A	MU	
2.	Input energy (metered Import) received at interface points of DISCOM network.	B	MU	
3.	Input energy (metered Export) by the DISCOM at interface points of DISCOM network	C	MU	
4.	Total energy available for sale within the licensed area to the consumers of the DISCOM	D=A-B-C	MU	

5.	Energy billed to metered consumers within the licensed area of the DISCOM	E	MU	
6.	Energy billed to un-metered consumers within the licensed area of the DISCOM@	F	MU	
7.	Total Energy Billed	$G=E+F$	MU	
8.	Amount billed to consumers within the licensed area of the DISCOM	H	Rs	
9.	Late payment Surcharge	I	Rs	
10.	Amount realized by the DISCOM out of the amount Billed at H#	J	Rs	
11.	Subsidy Amount Received	K	Rs	
12.	Amount Realised on account of theft cases	L	Rs	
13.	Energy Realized on account of theft cases	$M=(L \times G)/H$	MU	
14.	Collection Efficiency (%)	$N=(J-I+K+L/H+K+L) \times 100$	%	
15.	Energy Realized by the DISCOM	$P=N \times G$	MU	
16.	Distribution Loss (%)	$Q=\{(D-G)/D\} \times 100$	%	
17.	AT&C Loss (%)	$R=\{(D-(P+M))/D\} \times 100$	%	

#Amount received in the current year for the amount billed in the previous years should not be excluded in this head. However, subsidy received against the current year's sale of electricity should be considered in this head.

@ Norms for determining the energy billed to un-metered consumer may be specified. This should be only for two categories i.e. agricultural consumers and the households below poverty line. The norms could be on the basis of sample metering in case of the agricultural consumers which could be further refined on the basis of the results of the consultancy study on cost of supply to agricultural consumers.

Note: Audited figures must be taken from the Commercial Department of the utility (Billing and Revenue Section) for computing the AT&C losses.